मांग संख्या .

मुख्य शीर्ष 2049

मद क्रमांक 1

राज्य शासन द्वारा मार्च 2010 में 8.54 प्रतिशत पर लिये गये म.प्र. राज्य विकास ऋण के ब्याज भुगतान में रुपये 98,03,93,000 का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 98,03,93,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01

मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1

महामहिम राज्यपाल महोदय के विवेकाधीन अनुदान मद में वृद्धि होने के कारण राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 27.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अत: आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 27,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2051

मद क्रमांक 2

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण मद में रुपये 1.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अन्तर्गत परीक्षा एवं परिवहन व्यवस्था मदों में स्वीकृत बजट से रुपये 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। इस हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 97.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अत: आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 5 - 15

कार्यालय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली के अन्तर्गत, डाकतार, फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण, पुस्तकें, बिजली एवं जल प्रभार, लेखन सामग्री, पेट्रोल, आतिथ्य पर व्यय, परिवहन व्यवस्था, मशीन एवं उपकरण, सामग्री और पूर्तिया तथा अन्य प्रभार आदि मदों के लिये रुपये 56.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 56,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 16

कार्यालय, आयुक्त म.प्र. भवन नई दिल्ली की स्थापना के अंतर्गत स्थायी सम्पत्तियों के अनुरक्षण मद में रुपये 40 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 17 - 23

लोकायुक्त कार्यालय के अन्तर्गत न्यायिक सेवाओं के अधिकारियो के वेतन भत्तों, समचुरी भत्ता, बिजली एवं जल प्रभार, सेमिनार सम्मेलन एवं विशेष अदायगी आदि मदों में वृद्धि के कारण रुपये 77.05 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 77,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1 - 3

विशेष जांच आयोग के अन्तर्गत वेतन, चिकित्सा व्यय एवं यात्रा भत्ता अन्तर्गत रुपये 31.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 26

सरदार सरोवर फर्जी विक्रय एवं पुनर्वास स्थल अनियमितता जांच आयोग हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 9.86 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है। इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 103.35 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 1,03,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27

सत्कार कार्यालय के अन्तर्गत प्रतिस्थापन के आधार पर नये वाहन क्रय करने पर रुपये 11.00 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1 - 2

लोक अभियोजन संचालनालय के अन्तर्गत न्यायिक सेवा के अधिकारी के वेतन भत्तों में वृद्धि होने के कारण रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

शहरी यातायात योजना के अन्तर्गत अध्ययन, अनुसंधान पायलेट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु रुपये 1.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1

स्टेट गैरेज के अन्तर्गत वाहन क्रय किया जाना है इस हेतु रुपये 296.41 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,96,41,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 2 - 5

संपदा संचालनालय के अन्तर्गत परिवहन व्यय, अभिभाषकों की फीस, सफाई व्यवस्था तथा प्रशिक्षण मदों में रुपये 2.90 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 6 - 7

राज्य सैनिक बोर्ड के अंतर्गत छठवें वेतनमान के एरियर्स एवं महंगाई भत्ता स्वीकृत होने के कारण रुपये 5,28,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 10

जिला सैनिक बोर्ड के अंतर्गत छठवें वेतनमान का एरियर्स का भुगतान एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति के कारण वेतन हेतु रुपये 22,91,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 22,91,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3454

मद क्रमांक 11 - 14

जनगणना 2010-11 एवं राष्ट्रीय जनसंख्या के संचालन के कार्यालय व्यय एवं प्रचार-प्रसार हेतु रुपये 274.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,74,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 05

मुख्य शीर्ष 2056

मद क्रमांक 1 - 2

जेल मुख्यालय के अन्तर्गत महंगाई भत्ता एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में स्वीकृत बजट से रुपये 4.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06

मुख्य शीर्ष 2054

मद क्रमांक 1

राज्य के समस्त कर्मचारियों एवं पेंशनरों के डाटा बेस तैयार किये जाने की 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के क्रियान्वयन हेतु परामर्श सेवा मद में रुपये 2.50 करोड़ का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संचालनालय कोष एवं लेखा के लिये नवीन वाहन के क्रय हेतु रुपये 12,24,000 के व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,24,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 3

शासकीय उपक्रमों में राज्य की हिस्सेदारी के विनिवेश प्रक्रिया के आवश्यक व्ययों हेतु प्रावधान किया गया है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2071

मद क्रमांक 4

नवीन अंशदायी पेंशन योजना के रिकार्ड कीपिंग के कार्य हेतु राशि रुपये 164.00 लाख का भुगतान एन.एस.डी.एल. को किया जाना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07

मुख्य शीर्ष 2039

मद क्रमांक 1

वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी) के तहत भारतीय टेलीमीडिया लिमिटेड एवं अन्यों के द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं में शासन पक्ष की पैरवी हेतु नियुक्त वरिष्ठ अभिभाषक को मानदेय/अभिभाषक को भुगतान हेतु रुपये 30.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2040

मद क्रमांक 2

आयुक्त, वाणिज्यिक कर के मुख्यालय में साफ-सफाई हेतु मद न होने के कारण 31 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां के अन्तर्गत 006-सफाई व्यवस्था नवीन मद खोला जाना है। उक्त पर रुपये 5.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 6

वाणिज्यिक कर ट्रिब्यूनल के अन्तर्गत छठवें वेतनमान के फलस्वरुप अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन एरियर, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं महंगाई वेतन का भुगतान करने हेतु रुपये 32.34 लाख का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 9

वाणिज्यि कर विभाग में कम्प्यूटरीकरण हेतु मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि में से रुपये 6.10 करोड़ की राशि का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

आयुक्त, वाणिज्यिक कर के अधिनस्थ कार्यालयों में साफ-सफाई मद न होने के कारण 31 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगिया-006 सफाई व्यवस्था नवीन मद खोला जाना है। उक्त मद में रुपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08

मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1

13वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार आपदा राहत कार्यो के लिये अधिकारियों की कार्य क्षमता विस्तार हेतु प्रशिक्षण मद में रुपये 5.00 करोड़ नवीन मद के रुप में व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 2

प्रदेश में नवीन तहसीलों के गठन होने से इन तहसीलों के लिये 36 नवीन कार क्रय किया जाना है, जिसपर राशि रुपये 144.00 लाख एवं बुरहानपुर नवीन जिला होने से कलेक्टर के उपयोग हेतु एक एम्बेसेडर वाहन क्रय किया जाना है, जिसपर रुपये 5.00 लाख का व्यय होना संभावित है। इसे नवीन मद के रुप में शामिल किया जाना है। इस प्रकार कुल राशि रुपये 1.49 करोड़ का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,49,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

डब्ल्यू.पी. क्रमांक 5469/08 नर्मदा वैली रेफरीजरेटेड प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड विरुद्ध म.प्र. शासन के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में अपील

किये जाने के कारण अभिभाषक शुल्क हेतु राशि 3.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 18

नवीन तहसील गोरमी जिला भिण्ड हेतु वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 23,50,000 का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 09
मुख्य शीर्ष 2058

मद क्रमांक 1

नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री अन्तर्गत किराया महसूल तथा स्थानीय कर मद में रुपये 30.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 5

नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री कार्यालय अन्तर्गत व्यावसायिक सेवाओं की अदायगियां के तहत अभिभाषकों की फीस, वेतन, महंगाई भत्ता, मजदूरी आदि मद में राशि रुपये 2,31,63,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,31,63,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10
मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1 - 2

वन विभाग के अन्तर्गत कर्मचारियों के अनाज अग्रिम एवं त्यौहार अग्रिम हेतु रुपये 8.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

वन विभाग के अन्तर्गत वन क्षेत्रपालों को भारत सरकार के अधीन विभिन्न राज्यों में स्थित राज्य वन महाविद्यालयों में 18 माह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन क्षेत्रपालों को शिष्यवृत्ति हेतु राशि रुपये 241.24 लाख अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,41,24,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को अनुदान हेतु रुपये 4,84,54,000 दिये जाने की आवश्यकता है, जिसमें से संस्थान को रुपये 100.00 लाख आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जा चुका है शेष राशि रुपये 383.54 का अनुदान दिया जाना है।

अत: आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति एवं अनुदान हेतु रुपये 4,84,54,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

वन विभाग के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 4.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 7

भारत सरकार से स्वीकृत नवीन योजना ए.पी.आर.आर.एफ.सी. प्रारंभ करने हेतु राशि रुपये 7,23,00,000 का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है। उक्त राशि की प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक अनुमान से की जानी है। राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रुप में प्राप्त है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,23,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

प्रदेश स्थित टाइगर परियोजना एवं अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के देयकों के भुगतान हेतु राशि 2.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

प्रदेश स्थित अभ्यारणों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के नियमित चिकित्सा व्यय हेतु रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2045

मद क्रमांक 1

ऊर्जा विभाग के संग्रह प्रभार अन्तर्गत मजदूरी मद में रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 2

कृषकों के बकाया विद्युत देयकों के निपटारे हेतु प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ दिनांक 30-4-2010 तक बढ़ा दिये जाने हेतु रुपये 5110.79 लाख व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 51,10,79,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 3

विद्युत क्षेत्र में धन की कमी को दूर करने के लिये विद्युत वितरण कंपनियों को रुपये 500.00 करोड़ की राशि कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण के रुप में उपलब्ध करायी जानी है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1 - 2

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिये अनुदान एवं मशीनों के लिये रुपये 7200 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 72,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) हेतु रुपये 12304.75 लाख व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,23,04,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 14

मद क्रमांक 1 - 6

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें के अन्तर्गत जिला एवं संभागीय स्तर पर वेतन भत्ते के अन्तर्गत स्वीकृत बजट से रुपये 388.14 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,88,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 9

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें के अन्तर्गत संचालनालय स्तर पर वेतन भत्ते के अन्तर्गत स्वीकृत बजट से रुपये 74.49 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 74,49,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10 - 13

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें के अन्तर्गत पशु चिकित्सालयों में वेतन भत्ते के लिए स्वीकृत बजट से रुपये 479.44 लाख अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,79,44,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14 - 18

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें के अन्तर्गत माता महामारी उन्मूलन अन्तर्गत वेतन भत्ते में स्वीकृत बजट से रुपये 387.51 लाख अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,87,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19 - 22

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें के अन्तर्गत पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय योजना में वेतन भत्ते के अन्तर्गत स्वीकृत बजट से रुपये 65.32 लाख अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23 - 29

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें के अन्तर्गत गहन पशु विकास परियोजना में वेतन भत्ते के अन्तर्गत स्वीकृत बजट से रुपये 456.37 लाख अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,56,37,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 30

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें म.प्र. के अन्तर्गत नवीन योजना ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट योजना के लिये रुपये 542.30 लाख की आवश्यकता है, इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,42,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31 - 34

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र योजना में वेतन भत्ते के अन्तर्गत स्वीकृत बजट से रुपये 57.46 लाख अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 57,46,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 35 - 37

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें के अन्तर्गत रोग अनुसंधान योजना में वेतन भत्ते के अन्तर्गत स्वीकृत बजट से रुपये 60.01 लाख अतिरिक्त व्यय

होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,01,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 38 - 46

संचालक पशुचिकित्सा सेवायें के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पशु रोगों की विधिवत रोकथाम के लिये स्वीकृत बजट से रुपये 671.16 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है। इसमें 75 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 25 प्रतिशत राज्यांश का हिस्सा होगा।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,71,16,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 47

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में स्वीकृत बजट से रुपये 6628.40 लाख के अधिक व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 66,28,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 16
मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 1 - 2

संचालनालय मत्स्योद्योग के अंतर्गत अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग के लिये जिला स्तर पर अमला योजना के वेतन भत्ते में स्वीकृत बजट से रुपये 175.00 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

संचालनालय मत्स्योद्योग के अंतर्गत विस्तार तथा प्रशिक्षण योजना के वेतन भत्ते में रुपये 13.59 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,59,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

संचालनालय मत्स्योद्योग के अंतर्गत मत्स्यालय योजना के वेतन भत्ते में स्वीकृत बजट से रुपये 15.00 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

राज्य योजना आयोग द्वारा मछली पालन विभाग के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की योजना सीमा 1138.00 लाख निर्धारित है, जबकि वर्ष 2010-11 में इस योजना के अंतर्गत रुपये 454.00 लाख का प्रावधान रखा गया है, शेष अतिरिक्त राशि रुपये 684.00 लाख प्रथम अनुपूरक अनुमान में प्रस्तावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,84,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17
मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1

वैद्यनाथन समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु म.प्र. शासन, केन्द्र शासन एवं नाबार्ड द्वारा सहकारी समितियों को रुपये 13,14,32,600 की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,14,32,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मध्प्रदेश शासन द्वारा कृषकों को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा के अनुपालन में सामान्य योजना में रुपये

4639.90 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,39,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 18

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1 - 7

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्तो, अन्य भत्ते, ग्रेड-पे एवं दवाईयों के क्रय मद में रुपये 875.56 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,75,56,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 11

संचालक राज्य बीमा के अन्तर्गत प्रशासन योजना में वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते एवं ग्रेड-पे में रुपये 42.20 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 42,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12 - 19

राज्य बीमा अस्पताल चिकित्सालय के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया, अन्य भत्ते, ग्रेड-पे, दवाईयां तथा भोजन व्यय आदि मदों में रुपये 416.23 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,16,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 20

बाल श्रम प्रकोष्ठ के गठन के अन्तर्गत महंगाई भत्ता में वृद्धि होने के कारण राशि रुपये 15 हजार का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21 - 24

श्रम आयुक्त के अन्तर्गत वेतन एवं महंगाई भत्ते की राशि के भुगतान हेतु राशि रुपये 19.15 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25 - 27

श्रम कानूनों के क्रियान्वयन हेतु अमला के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्तें एवं ग्रेड-पे के भुगतान हेतु राशि रुपये 109.84 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,09,84,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28 - 30

खरगौन में श्रम पदाधिकारी कार्यालय की स्थापना के अंतर्गत वेतन भत्ते मद में राशि रुपये 1.75 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31 - 34

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अन्तर्गत वेतन भत्तों एवं वाहन भत्तों में वृद्धि के कारण रुपये 36.55 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 36,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 35 - 37

श्रम कल्याण एवं अन्वेषण के अन्तर्गत महंगाई भत्ता में वृद्धि एवं वेतन के भुगतान हेतु राशि रुपये 3.36 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 38 - 40

खेतीहर मजदूरों को न्यनतम मजदूरी संबंधी कानूनों को लागू करने के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्तों आदि में वृद्धि होने के कारण रुपये 2.30 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 41

बीड़ी श्रमिकों के लिये अशोक नगर चंदेरी जिला गुना में 225 आवासों के निर्माण हेतु राशि रुपये 33.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 42

बंधक श्रम तथा उन्मूलन योजना के अन्तर्गत ग्वालियर, शिवपुरी तथा गुना जिले के सर्वेक्षण हेतु प्रत्येक जिले हेतु रुपये 2.00 लाख एवं भिण्ड जिले के सर्वेक्षण हेतु रुपये 0.60 लाख तथा म.प्र. में बंधक श्रम प्रथा के विरुद्ध जन जागरण गतिविधियों के लिये रुपये 10.00 लाख कुल राशि रुपये 16.60 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 19

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1 - 2

एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण के लिये डीजल जनरेटर सेट, डिजीटल एक्सरे, लेप्रोस्कोप एवं अस्पताल फर्नीचर की व्यवस्था में रुपये 25.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

जय प्रकाश अस्पताल का आधुनिकीकरण हेतु राशि रुपये 141.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,41,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 6

खाद्य प्रदार्थो में मिलावट की रोकथाम अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान किये जाने हेतु रुपये 38.78 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,78,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 9

औषधि नियंत्रण अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान किये जाने हेतु रुपये 34.54 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,54,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 10

जय प्रकाश अस्पताल का आधुनिकीकरण के अन्तर्गत निर्माण कार्यो हेतु राशि रुपये 359.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,59,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

नाबार्ड योजना अन्तर्गत 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (धमोखर, नौरोजाबाद, बिजोरी-जिला उमरिया, काटकूट-जिला खरगोन, नोहटा जिला दमोह, रजेगांव जिला बालाघाट, ढावला महेश जिला मंदसौर, जोडोरी जिला रीवा, मोहगांव तथा जमा जिला बालाघाट, बाजना जिला छतरपुर, बेलखाडू सिंगोद, भिड़की, इदाना, पडवार एवं बोरिया जिला जबलपुर, सोनतलाई जिला हरदा, छपारा जिला सिवनी, जरुआ, चंदेरा जिला टीकमगढ़ तथा वर्धा जिला विदिशा) के निर्माण कार्य में रुपये 352.00 लाख की राशि व्यय होने का अनुमान है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,52,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रो का उन्नयन किया जाना है:-

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	गांव का नाम	राशि	प्रतीक प्रावधान
1.	नरसिंहपुर	गोटेगांव सामुदायिक स्वा. केन्द्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन	256.43	100
2.	सागर	खुरई सामुदायिक स्वा. केन्द्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन	251.25	100
3.	देवास	बरोठा प्राथमिक स्वा. केन्द्र का सामुदायिक स्वा. केन्द्र में उन्नयन	45.98	100
4.	मंदसौर	नारायणगढ़ प्राथमिक स्वा. केन्द्र का सामुदायिक स्वा. केन्द्र में उन्नयन	45.98	100
5.	रतलाम	खरबांकला प्राथ. स्वा. केन्द्र का सामुदायिक स्वा. केन्द्र में उन्नयन	45.98	100
6.	सीहोर	दोराडा प्राथ. स्वा. केन्द्र का सामुदायिक स्वा. केन्द्र में उन्नयन	45.98	100
7.	नरसिंपुर	सिहोरा उप स्वा. केन्द्र का प्राथ. स्वा. केन्द्र में उन्नयन	20.19	100
		योग	711.79	

उपरोक्त व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 700 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 20
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1

जलपूर्ति के अन्तर्गत निदेशन एवं प्रशासन मद में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एरियर्स के प्रथम किश्त के भुगतान हेतु रुपये 1.16 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को वेतन एरियर्स के प्रथम किश्त के भुगतान हेतु रुपये 7.70 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को वेतन एरियर्स के प्रथम किश्त के भुगतान हेतु रुपये 2.40 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं के संधारण अन्तर्गत कार्यभारित अधिकारी/कर्मचारियों को वेतन एरियर्स के प्रथम किश्त के भुगतान हेतु रुपये 1.44 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,44,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

नलकूपों (हैन्ड पंपों) के अनुरक्षण अन्तर्गत कार्यभारित अधिकारी/कर्मचारियों को वेतन एरियर्स के प्रथम किश्त के भुगतान हेतु रुपये 5.04 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5.04,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 6

समस्या मूलक ग्रामों में नलकूप खनन पेयजल प्रदाय योजना अन्तर्गत कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मद प्रारंभ की जानी है। इस मद में रुपये 16.00 करोड़ की आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था विभाग पुर्नविनियोजन से करेगा।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 21

मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना मंडल, राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत मंडल की स्थापना में कार्यभारित/आकस्मिकता मद के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों के भुगतान हेतु राशि रुपये 2,12,29,600 व्यय होने की संभावना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना मंडल, राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत विद्युत यांत्रिकी संभाग के कार्यभारित/आकस्मिकता मद के कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु राशि रुपये 72.00 लाख व्यय होने की संभावना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना मंडल, राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष भवनों के रख-रखाव में आकस्मिकता मद के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों के भुगतान हेतु राशि रुपये 1,20,000 व्यय होने की संभावना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

मद क्रमांक 4

राजधानी परियोजना प्रशासन अन्तर्गत विधायक विश्रामगृह के निकट की झुग्गियों के विस्थापन कार्य हेतु राशि रुपये 145.32 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,45,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 22

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

प्रदेश के 10 नगर निगमों, 91 नगर पालिकाओं एवं 5 पवित्र नगरों के सिटी डेव्हलपमेंट प्लान तैयार कराने के लिये राशि रुपये 552.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,52,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23

मुख्य शीर्ष 2700

मद क्रमांक 1 - 10

बांध तथा नहरें अन्तर्गत कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं मजदूरी के भुगतान की मद प्रारंभ की जानी है। इस मद में रुपये 26.09 करोड़ के व्यय की संभावना है। जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2701

मद क्रमांक 11

औजार और संयंत्र योजना अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान की मद प्रारंभ की जानी है। इस मद में रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था विभाग पुनर्विनियोजन से करेगा।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 12

वृहद सिंचाई योजना अंतर्गत बाण सागर परियोजना यूनिट -2 के निर्माण कार्य हेतु रुपये 40.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। यह राशि मांग संख्या-45 से समर्पित कर लायी जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

वृहद सिंचाई योजना अंतर्गत बावनथड़ी परियोजना के वृहद निर्माण कार्य हेतु रुपये 5.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। यह राशि मांग संख्या-45 से समर्पित कर लायी जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

वृहद सिंचाई योजना अंतर्गत सम्राट अशोक सागर परियोजना के लिये रुपये 20.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। यह राशि मांग संख्या-45 से समर्पित कर लायी जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 15

मध्यम सिंचाई योजना अंतर्गत कुशलपुरा तालाब योजना हेतु रुपये 3.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। यह राशि मांग संख्या-45 से समर्पित कर लायी जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य अंतर्गत संजय सागर (वाह तालाब) परियोजना हेतु रुपये 5.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। यह राशि मांग

संख्या-45 से समर्पित कर लायी जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

अपर ककेटो बांध परियोजना में रुपये 50.00 लाख अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है। यह राशि मांग संख्या 45 से समर्पित कर लायी जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

मध्यम सिंचाई महान परियोजना अन्तर्गत रुपये 40.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह राशि मांग संख्या-45 से समर्पित कर लायी जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन में भुगतान हेतु डिक्रीधन मद में राशि रुपये 183.53 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,83,53,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

मध्यम सिंचाई योजना अंतर्गत सगड़ परियोजना के लिये राशि रुपये 20.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। यह राशि मांग संख्या-45 से समर्पित कर लायी जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21

मध्यम सिंचाई योजना अंतर्गत सिंहपुर बैराज परियोजना के लिये रुपये 21.50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। यह राशि मांग संख्या-45 से समर्पित कर लायी जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

मध्यम सिंचाई योजना अंतर्गत बघरू मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु रुपये 2.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। यह राशि मांग संख्या-45 से समर्पित कर लायी जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

मध्यम सिंचाई योजना अंतर्गत रेहटी मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु रुपये 2.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। यह राशि मांग संख्या-45 से समर्पित कर लायी जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

मध्यम सिंचाई योजना अंतर्गत चन्दौरा मध्यम परियोजना में राशि रुपये 1.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। यह राशि मांग संख्या-45 से समर्पित कर लायी जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4711

मद क्रमांक 25

मंडला जिले में वर्ष 2010-11 के कुंभ मेले से संबंधित वृहद निर्माण कार्य हेतु रुपये 3.00 करोड़ के आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 3.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24
मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

राज्य में आवागमन की सुविधा हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अन्तर्गत जिला सतना में नवीन सड़क मार्ग का निर्माण लागत रुपये 985.23 लाख से कराया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राज्य में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित पुलों का निर्माण कराया जाना है। कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	कुल लागत	वर्ष 2010-11 में संभावित व्यय
1.	रायसेन	ग्राम लाडलह में बेतवा नदी पर पुल निर्माण	200.00	30.00
2.	रायसेन	उमरावगंज से जामुनिया मार्ग पर अजनाल नदी पर पुल निर्माण	1200.00	180.00
		योग	1400.00	210.00

व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राज्य में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित रेल्वे ओव्हर/अण्डर ब्रिज का निर्माण कराया जाना है। कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	कुल लागत	वर्ष 2010-11 में संभावित व्यय
1.	ग्वालियर	पुरानी छावनी से खेरिया रोड़ छोटी रेल लाईन व फ्लाई ओव्हर ब्रिज का निर्माण	800.00	120.00
2.	इंदौर	राऊ पीथमपुर मार्ग पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	2157.50	323.62
3.	सतना	मुख्त्यार गंज में अंडर ब्रिज का निर्माण	2500.00	375.00
		योग	5457.50	818.62

व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट के बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निम्नांकित मार्गो का निर्माण कराया जाना है। कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्रमांक	जिला	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	कुल लागत	वर्ष 2010-11 में संभावित व्यय
1.	सागर	खुरई रजवास मार्ग का अपग्रेडेशन फेस-1	17.80	1014.85	152.23
2.	उज्जैन	नागदा खचरोड़ धिनौदा मार्ग का इम्प्रूवमेंट एवं अपग्रेडेशन	20.50	2162.73	324.41
3.	शिवपुरी	बदरवास से अजखारा मार्ग व्हाया सदबुढ़ कंडई मार्ग का निर्माण	12.00	966.58	144.98
4.	रतलाम	गोगापुर ताल मार्ग का अपग्रेडेशन एवं चौड़ीकरण	6.20	274.90	41.23
		योग		4419.06	662.85

व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

राज्य में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर मार्गो का निर्माण कराया जाना है। कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई कि.मी.	कुल लागत	वर्ष 2010-11 में संभावित व्यय
1.	इंदौर	पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 3 ए.बी.रोड निरंजनपुर चौराहा से मागल्या होते हुये बायपास तक 06 मार्ग तथा राजीव गांधी प्रतिमा से राउ बायपास चौराहा तक 06 लेन मार्ग का निर्माण	7.76	2939.45	440.92
2.	इंदौर	राजीव गांधी प्रतिमा से राऊ तक फोरलेन मार्ग का निर्माण	8.20	1818.43	272.76
3.	नरसिंहपुर	झांसी घाट से बेदू तक मार्ग का निर्माण	18.30	430.26	64.54
4.	राजगढ़	बोडा-नरसिंहपुर मुख्य मार्ग से बुपर कोटरी तक सड़क मार्ग का निर्माण	5.00	240.00	36.00
5.	होशंगाबाद	इटारसी से छीपानेर मार्ग का निर्माण	9.00	450.00	67.50
6.	नरसिंहपुर	संचारी निजोर महगुवा हर्रई सुजवारा बोहानी तक मार्ग निर्माण	11.82	494.19	74.73
7.	नरसिंहपुर	गरहा से अजनसरा मटका चिरचिरा मिढ़वानी माता होते हुये बोहानी मुख्य मार्ग तक निर्माण	13.18	618.62	92.79
8.	रायसेन	11 मील बंगरसिया से भोजपुर मार्ग को डबल लेन करना	3.00	193.83	29.07
		योग		7188.78	1078.31

व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 800 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

बुधनी विधानसभा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के लिये मूलभूत न्यूनतम सेवा अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु रुपये 4200.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 42,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

राज्य में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाता है। कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	कुल लागत	वर्ष 2010-11 में संभावित व्यय
1.	विदिशा	बन्टीनगर से रुसल्ला से खाईखेड़ा से ठर्र से मुडरा मार्ग निर्माण	633.07	633.07
2.	सतना	भिकमपुर से देवरी से कुम्हारी से पटरा मार्ग निर्माण	350.00	350.00
3.	सतना	बिरसिंहपुर से समापुर से पिपरी टोला से सुतीक्षण आश्रम से चित्रकूट सरभंगा मार्ग निर्माण	429.80	429.80
		योग	1262.87	1262.87

व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

राज्य में आवागमन की सुविधा हेतु विदिशा जिले के भैरोखेड़ी ठर्र मार्ग के पुल निर्माण हेतु कुल लागत रुपये 83.66 लाख के व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

बुधनी विधानसभा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के लिये नाबार्ड ऋण सहायता के अन्तर्गत मार्गो के निर्माण हेतु रुपये 1200.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

अन्तर्राज्जीय तथा आर्थिक महत्व की सड़कों के अन्तर्गत निम्नांकित मार्गो का निर्माण कराया जाना है। कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्रमांक	जिला	मार्ग का नाम	लंबाई कि.मी.	कुल लागत	वर्ष 2010 में संभावित व्यय
1.	छिंदवाड़ा	बागौन उमरीकला महाराष्ट्र सीमा तक के मार्गो का इम्प्रूवमेंट कार्य	8.30	705.17	105.77
2.	छिंदवाड़ा	बैरागढ़-भीमापुर महाराष्ट्र सीमा से छिंदवाड़ा तक के मार्ग का इम्प्रूवमेंट कार्य	2.60	297.06	44.56
		योग		1002.23	150.33

व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 25
मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 1-2

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म की आयोजनेतर एवं आयोजना अन्तर्गत छठवें वेतनमान के फलस्वरुप अधिकारियों/कर्मचारियों को एरियर का भुगतान करने हेतु वेतन भत्तों में रुपये 94.45 लाख (अयोजनेतर) एवं रुपये 13.44 लाख (आयोजना) कुल रुपये 107.89 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,07,89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राज्य के अन्य खनिजों के सर्वेक्षण अन्तर्गत वेतन एवं भत्तों में रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26
मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 1

संस्कृति विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर पर राज्योत्सव समारोह पर वर्ष 2009-10 में हुये व्यय की बकाया राशि रुपये 100.00 लाख का भुगतान एवं विभिन्न समारोहों के आयोजन पर राशि रुपये 70.00 लाख इस प्रकार कुल राशि को भुगतान करने हेतु रुपये 170.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

रामवन व रामपथ का विकास एवं प्रदेश में भगवान राम के वनगमन मार्ग से संबंधित विशेष रिसर्च फैलोशिप हेतु राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

पारम्परिक तीज त्यौहारों पर आयोजित होने वाले प्रदेश के विभिन्न स्थलों के मेलों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां सुनिश्चित करने तथा मेले में परिष्कृति के दृष्टिकोण से प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है जिसपर राशि रुपये 1.00 करोड़ का व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

चित्तकूट में लीला गुरूकुल की स्थापना की जाना है जिस पर राशि रुपये 5.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

संस्कृति विभाग के अन्तर्गत भारत भवन द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के लिये राशि रुपये 30.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

प्रदेश के सभी नगरों (जिला मुख्यालयों) में जननायकों, जन योद्धाओं, रणबांकुरों में महाराजा विक्रमादित्य के अलावा राजाभोज, रानी दुर्गावती, तात्या

टोपे एवं रानी लक्ष्मी बाई आदि महान विभूतियों पर केन्द्रित नाट्य मंचन किये जाने पर राशि रुपये 100.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

इंदौर जिले की महू तहसील में जननायक टंट्या भील की समाधि पर स्मारक बनाने एवं आस-पास के क्षेत्र के विकास हेतु रुपये 50.00 लाख का व्यय होने की संभावना है। इस हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान शामिल किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

सन 1857 के स्वातंत्रय समर में मध्यप्रदेश के प्रमुख विद्रोह के केन्द्रों में योद्धाओं के शौर्य एवं क्रांति स्थलों पर स्मारक बनाये जाने पर राशि रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

संस्कृति विभाग के अन्तर्गत मुरैना शहर में पंडित राम प्रसाद विस्मिल के नाम पर बनाये जा रहे शहीद स्मारक के लिये राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 10

संस्कृति विभाग के अन्तर्गत भारत भवन के रख-रखाव हेतु राशि रूपये 70.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 11

दमोह जिले में रानी अवंतीबाई लोधी एवं अमर शहीद ठाकुर किशोर सिंह की मूर्ति स्थापना पर राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 27
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पूर्व की अवशेष राशि तथा 90 प्रतिशत व्यय की संभावना को देखते हुये कुल आयोजना सीमा रुपये 104945.00 लाख का 8 प्रतिशत राशि रुपये 83.00 करोड़ में से रुपये 42,83,50,000 की अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 42,83,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 28
मुख्य शीर्ष 2011

मद क्रमांक 1 - 3

माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष विधान सभा के वेतन भत्तों तथा अतिथि व्यय में वृद्धि के कारण रुपये 5.29 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,29,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 5

विधान सभा के माननीय सदस्यों के वेतन भत्तों में वृद्धि होने के कारण वर्ष के दौरान रुपये 394.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,94,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

विधान सभा सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यो हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1 - 5

माननीय उच्च न्यायालय के अन्तर्गत न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों के वेतन भत्ते आदि में वृद्धि होने के कारण रुपये 313.92 लाख एवं माननीय मुख्य न्यायाधिपति/न्यायाधिशों एवं उच्च न्यायालय के (रजिस्ट्री) अन्तर्गत वाहन क्रय हेतु रुपये 10.74 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। इस प्रकार कुल रुपये 324.66 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,24,66,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

निर्वतमान म.प्र. प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर के अन्तर्गत लंबित देयक के भुगतान हेतु रुपये 30 हजार का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7-12

सिविल एवं सत्र न्यायालयों के अन्तर्गत न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि होने के कारण रुपये 10639.56 लाख, नवसृजित सिविल जिला सिंगरौली में जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ अपर जिला न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी हेतु रुपये 32.00 लाख एवं न्यायिक जिला स्थापना भिण्ड, शिवपुरी, गुना, भोपाल, राजगढ़, रीवा, टीकमगढ़ एवं उज्जैन में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराने हेतु रुपये 15.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। इस प्रकार कुल रुपये 1,06,86,56,000 का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,06,86,56,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

सिविल एवं सत्र न्यायलय के अन्तर्गत डिक्रीधन के भुगतान हेतु रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14 - 41

ग्राम न्यायालयों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान वेतन, मजदूरी, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय आदि मदों में रुपये 760.60 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,60,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 42 - 75

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किये जा रहे प्रकरणों की सुनवाई हेतु गठित विशेष न्यायालयों में जबलपुर एवं भोपाल में पदस्थ पीठासीन न्यायाधीशगणों को वाहन उपलब्ध कराने के लिये रुपये 10.00 लाख एवं इसके साथ ही वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, यात्रा भत्ता, महसूल एवं किराया, वाहन अनुरक्षण, अन्य प्रभार एवं डिक्रीधन आदि मदों में रुपये 3300 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। प्रतीक प्रावधान की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,03,200 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 76 - 90

फास्ट ट्रैक न्यायालय के अन्तर्गत न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि होने के कारण कार्यालय व्यय तथा यात्रा व्यय आदि में रुपये 313.60 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,13,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 91

तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के अनुसार न्याय व्यवस्था में सुधार के लिये रुपये 81.48 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 81,48,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 92 - 102

मुफस्सिल स्थापना एवं ग्राम न्यायालय के अन्तर्गत वेतन भत्तों आदि हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 40.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है। अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 439.23 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 4,39,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 103 - 104

उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय के अभिभाषकों की फीस एवं अन्य भुगतान हेतु रुपये 70.80 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 70,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 105 - 116

परिवार न्यायालय के अन्तर्गत वर्ष के दौरान वेतन भत्तों, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय आदि मदों में रुपये 264.45 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,64,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 117 - 126

विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अन्तर्गत न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण के कारण रुपये 262.20 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,62,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 127 - 130

म.प्र. माध्यस्थ्य अधिकरण के अन्तर्गत पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के वेतन भत्तों में पुनरीक्षित होने के कारण रुपये 31.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 131

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अन्तर्गत न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण के कारण रुपये 43.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 43,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 30
मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 1

मुख्यमंत्री आवास मिशन हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 2

विकास आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश हेतु एक नवीन वाहन क्रय करने के लिये राशि रुपये 5.50 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 3

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों के निर्माण पर होने वाली अतिरिक्त राशि रुपये 1716.90 लाख अधिक व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,16,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 31

मुख्य शीर्ष 3451

मद क्रमांक 1

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट एनोवेशन फण्ड की स्थापना हेतु रुपये 10.00 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3454

मद क्रमांक 2

राज्य के विविध सांख्यिकी आंकड़े एवं सामाजिक सांख्यिकी आंकड़े मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों व जिला कार्यालयों से आन लाईन प्राप्त कर आंकड़ों को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन को आन लाईन भेजे जाने हेतु अतिरिक्त कम्प्यूटरों की स्थापना के लिये संचालनालय के कम्प्यूटर कक्ष का रिनोवेशन किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अन्तर्गत राज्य की सांख्यिकीय अधोसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु रुपये 10.00 करोड़ का अनुदान प्राप्त होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार बायोमेट्रिक्स आधारित पहचान पत्र के सृजन हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों/व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिये रुपये 49.94 करोड़ का अनुदान केन्द्र शासन से प्राप्त होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 49,94,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

विश्व बैंक सहायतित भारत की सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा राज्य को राशि प्राप्त होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 32
मुख्य शीर्ष 2220

मद क्रमांक 1 - 2

जनसंपर्क विभाग की योजना 2304 के अन्तर्गत व्यावसायिक सेवाओं की अदायगी के लिये रुपये 1.50 करोड़ एवं वेतन भत्ते मद में रुपये 3,29,57,000 इस प्रकार कुल रुपये 4,79,57,000 का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,79,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

जनसंपर्क विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सूचना केन्द्र नई दिल्ली को किराये के भुगतान हेतु कार्यालय व्यय में नवीन मद खोला जाना है। इस हेतु किराया एवं महसूल में प्रतीक प्रावधान किया जाना है। इसके साथ ही रुपये 5,82,000 वेतन भत्ते मद में व्यय होना संभावित है। इस प्रकार कुल रुपये 5,82,100 की अतिरिक्त आवश्यकता है। किराया एवं महसूल की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान एवं रुपये 5,82,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 33
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मकान किराया भत्ते आदि पर वित्तीय वर्ष में रुपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 37
मुख्य शीर्ष 3452

मद क्रमांक 1

पर्यटन, मनोरंजन एवं मेला उत्सव के लिये राशि रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रदेश के दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि किये जाने के लिये प्रचार-प्रसार हेतु राशि रुपये 800.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 38
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

अधिकारियों/कर्मचारियों को एरियर्स भुगतान हेतु वेतन भत्ते मद के अन्तर्गत राशि रुपये 597.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,97,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अधिकारियों/कर्मचारियों को एरियर्स भुगतान हेतु वेतन भत्ते मद के अन्तर्गत राशि रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

अधिकारियों/कर्मचारियों को एरियर्स के भुगतान हेतु वेतन मद के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि रुपये 22.50 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

ग्राम बधवार जिला नरसिंहपुर में औषधालय भवन निर्माण में राशि रुपये 17.15 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 7

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी भोपाल के अधिकारियों/कर्मचारियों के एरियर्स भुगतान हेतु वेतन एवं ग्रेड-पे में राशि रुपये 58.225 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 58,22,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 9

अधिकारियों/कर्मचारियों को एरियर्स भुगतान हेतु वेतन भत्ते एवं ग्रेड-पे मद के अन्तर्गत राशि रुपये 22.48 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी भोपाल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एरियर्स भुगतान हेतु वेतन भत्ते मद के अन्तर्गत राशि रुपये 67.41 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 67,41,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1 - 3

रजिस्ट्रार म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के लिये वेतन भत्ते आदि में स्वीकृत बजट से रुपये 27.00 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 - 3

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं में पदस्थ अमले के महंगाई भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता एवं ग्रेड पे हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 358.33 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,58,33,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 6

आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित माध्यमिक शालाओं में पदस्थ अमले के वेतन, महंगाई भत्ता एवं आदिवासी क्षेत्र भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 757.81 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,57,81,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

सर्व शिक्षा अभियान योजना अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक शाला तथा मिडिल शालाओ हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 2564.80 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,64,80,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 10

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थ अमले के वेतन, महंगाई भत्ता एवं आदिवासी क्षेत्र भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 6.89 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,89,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक शालाओं के अमले के लिए आदिवासी क्षेत्र भत्ता हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 0.30 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12 - 15

आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित हाई स्कूल में पदस्थ अमले के वेतन, महंगाई भत्ता आदिवासी क्षेत्र भत्ता एवं ग्रेड पे हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 471.64 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,71,64,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 16

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत पेयजल की समस्या के निवारण हेतु डिण्डोरी जिले की मडियारास समूह नलजल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन लागत रुपये 3191.23 लाख से किया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 17 - 20

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम एवं शालाओं में पदस्थ अमले के वेतन, महंगाई भत्ता आदिवासी क्षेत्र भत्ता एवं ग्रेड पे हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 63.21 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 63,21,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21 - 25

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित क्रीड़ा परिसर में पदस्थ अमले के वेतन, महंगाई भत्ता आदिवासी क्षेत्र भत्ता एवं ग्रेड पे तथा संस्थाओं के खिलाड़ियों के लिये आयोजित होने वाली शालेय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के दैनिक भत्तो एवं गणवेश आदि हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 19.63 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,63,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 26 - 29

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासो में पदस्थ अमले के लिए वेतन, महंगाई भत्ता आदिवासी क्षेत्र भत्ता एवं ग्रेड पे हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 9.65 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,65,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 30 - 33

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रावासो में पदस्थ अमले के वेतन, महंगाई भत्ता आदिवासी क्षेत्र भत्ता एवं ग्रेड पे हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 6.09 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,09,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 34 - 38

व्यवसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत पदस्थ अमले के वेतन, महंगाई भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, अन्य भत्ता एवं ग्रेड पे हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 41.19 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 41,19,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 39 - 44

जनजातीय संग्रहालय भवन में विभिन्न जनजातियों की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी वस्तुओं का संरक्षण संवर्धन किया जाता है। भवन की साज-सज्जा, सुरक्षा रख-रखाव, साफ-सफाई स्थापना एवं विद्युत व्यय आदि पर वित्तीय वर्ष में रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 600/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 45

कृषकों को सिंचाई उपकरणो के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान योजना अंतर्गत हस्तचलित, बैलचलित कृषि यंत्रो के क्रंय पर 50 प्रतिशत टाप अप अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 79.60 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 79,60,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 46

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 384.60 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,84,60,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 47

किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 4039.95 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,39,95,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 48

पशुपालन विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 2011.60 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,11,60,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 49

मछली पालन विभाग के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत प्रावधानित राशि से रुपये 117.50 लाख की अतिरक्ति आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,17,50,000/ के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 50

प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाना

है। इस हेतु म. प्र. राज्य सहकारी बैंक को उपलब्ध कराई जाने वाली अनुदान राशि हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 1517.10 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,17,10,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 51 - 54

मुख्य कार्यपालन अधिकारियो के वेतन, महंगाई भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, अन्य भत्ता एवं ग्रेड पे हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 50.18 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,18,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 55

आदिवासी क्षेत्रों में जिला चिकित्सालयों (बैतुल, धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, अनुपपुर, अलीराजपुर) में पी.आई.सी.यू, केज्यूलटी विंग, मेटरनिटी विंग, माइक्रोबायलाजी लैब तथा ब्लाक स्तर पर एन. आर. सी. का निर्माण कराया जाना है एवं 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नैनपुर जिला मंडला को 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल तथा सेंधवा जिला बड़वानी के 46 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 320.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,20,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 56

उप स्वास्थ्य केन्द्र चिरई डोंगरी एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र बकौरी जिला मंडला को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लागत रुपये 20.19 लाख के मान से प्रत्येक का उन्नयन किया जाना है। वित्तीय वर्ष में कुल रुपये 40.38 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 57

आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कबड़िया, गुराड़िया, हेलाबड़ावा जिला खरगौन, गेलडूब्बा जिला छिंदवाड़ा, बोरगांव जिला बैतूल, सकरा, चोलना जिला अनुपपुर, अंकुरी जिला शहड़ोल, पिपरिया जिला मंड़ला, बम्हनी, रुसा जिला डिण्डोरी, बाबदड़ जिला बड़वानी, उबलड़, उमरठ, फूलमाल, सेमावाड़ा जिला झाबुआ, सतीपुरा जिला धार एवं सायर जिला विदिशा पर नाबार्ड योजना के आर.आई.डी.एफ. 15 वे चरण के अंतर्गत निर्माण कार्य कराया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 288.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,88,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 58

जिला रतलाम के ग्राम बेड़दा में 50 सीट के कन्या एवं बालक छात्रावास भवन के निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत कुल रुपये 120.00 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 59

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधीन संचालित मान परियोजना में कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्तो पर वित्तीय वर्ष में रुपये 49.03 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 60

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधीन संचालित जोबट परियोजना में कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्तो पर वित्तीय वर्ष में रुपये 119.78 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 61

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में मध्यम परियोजनाओं के निर्माण कार्य अंतर्गत माही परियेजना हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में वित्तीय वर्ष में रुपये 40.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 45 मुख्य शीर्ष 4702 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42
मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निम्नांकित पुलों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	कुल लागत (रु. लाख में)
1.	शहडोल	खन्नोधी मानपुर मार्ग में (रुपोला घाट) सोन नदी पर पुल	465.00
2.	शहडोल	लेदरा खैरी मार्ग मे कुनकु नदी (खैरीघाट) पर पुल	232.50

उपरोक्त पर वित्तीय वर्ष में रुपये 2.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जिला मण्डला में वर्ष 2011 में होने वाले महाकुंभ हेतु मार्ग एवं मैदान का समतलीकरण (लंबाई 47.80 कि.मी. लागत रुपये 788.17 लाख से) कराया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सड़क परिवहन, सड़क और राज मार्ग मंत्रालय, भारत शासन द्वारा बालाघाट जिले में बैहर-टोपाल-सुपरवार-चिल्पी राज्य मार्ग क्र. 26 के कि.मी. 84.00 से 130.00 तक उन्नयन के कार्य हेतु राशि रुपये 3406.49 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 44
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1-4

विश्वविद्यालय में अनुदान योजना समाप्त करते हुये विश्वविद्यालयों के अनुदान में वृद्धि करते हुये पेंशन भुगतान योजना को अनुदान में समाहित किये जाने के कारण राशि रुपये 7.21 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,21,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 19

निजी विश्वविद्यालय के कार्यरुप में परिणित होने के कारण अन्य मदे खोलने हेतु राशि रुपये 3.00 लाख की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था

स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20 - 22

6वें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर शासकीय महाविद्यालय विश्व विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरुप महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान का 1-1-2006 में वेतन निर्धारण करने के उपरांत 1-4-2010 की स्थिति में पुराने वेतनमान एवं नवीन वेतनमान के अंतर की राशि रुपये 1,44,32,00,000 एवं राशि रुपये 5.00 करोड़ नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु इस प्रकार कुल राशि रुपये 149.32 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,49,32,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23 - 25

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान के अनुसार 6वें वेतनमान के अन्तर्गत एरियर्स का भुगतान किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 का व्यय प्रतीक प्रावधान के रुप में सम्मिलित किया गया है।

मद क्रमांक 26

नटनागर शोध संस्थान की ऐतिहासिक धरोहर के रख-रखाव एवं संचालन हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 15.80 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

ग्रीन कार्ड धारकों को दी जाने वाली सुविधा के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं में अध्ययनरत ग्रीन कार्ड धारी अभिभावकों की संतानों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाने हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 4

अखिल भारतीय तकनीकी परिषद से 6वें वेतनमान के अंतर्गत एरियर्स का भुगतान किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 5 - 14

छठवें वेतनमान के एरियर्स, महंगाई भत्ता, ग्रेड-पे के भुगतान हेतु मंहगाई भत्ते एवं मजदूरी मद में राशि कम पड़ने से कुल राशि रुपये 1069.78 लाख अतिरिक्त रुप से शामिल की जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,69,78,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

संकल्प क्र. 50-गुणवत्तायुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये प्रदेश की आई.टी.आई. का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन किया जाना है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से मान्यता प्राप्त करने के लिये वर्तमान में 127 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं 263 व्यवसाय राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के अन्तर्गत संचालित है, जिनमें से 45 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के 106 व्यवसाय विशुद्ध रुप से राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के अन्तर्गत संचालित है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से मान्यता के लिये राशि रुपये 5.00 लाख प्रति व्यवसायों के मान से कुल राशि रुपये 1315.00 लाख की आवश्यकता होगी। वर्ष 2010-11 में इस प्रयोजन हेतु रुपये 5.00 करोड़ शामिल किये जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 16

विभाग के भवनों के निर्माण कार्यों में राशि रुपये 400.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय स्वीकृत बजट की बचत से किया जावेगा।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

संकल्प क्र. 50 गुणवत्तायुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये प्रदेश की आई.टी.आई. का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन किया जाना है। किराये के भवनों में तथा अन्य शासकीय भवनों में संचालित 38 संस्थाओं मझौली, आ.महिला छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा, बैरसिया, मण्डीदीप, सिंरोज, चाचौड़ा, दतिया, विजयपुर, अमरपाटन, उमरिया, छतरपुर, बड़ा मल्हरा, तेंदूखेड़ा, नोहटा, नेपानगर, महिला उज्जैन, महिदपुर, शुजालपुर, सुसनेर, कन्नौद, मंदसौर, शामगढ़, गंजबसौदा, ब्यावरा, कुंभराज, अशोकनगर, उचेहरा, टीकमगढ़, बल्देवगढ़, पटेरा, अपंग इंदौर, महिला सिंघाना, करही, बड़नगर, काटाफोड़ तथा मनासा के भवन निर्माण के लिये राशि रुपये 3.00 करोड़ प्रति संस्था के मान से कुल राशि रुपये 114.00 करोड़ की आवश्यकता होगी। वर्ष 2010-11 में इस प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की राशि शामिल की जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 48

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

इंदिरा सागर परियोजना अन्तर्गत आकस्मिकता एवं कार्यभारित कर्मचारियों के वेतन भत्ते की मद प्रारंभ की जानी है। इस मद में रुपये 436.40 लाख की राशि की आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनूपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

इंदिरा सागर परियोजना अन्तर्गत कार्यरत कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु मद प्रारंभ की जानी है। इस मद में रुपये 46000 की आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

ओंकारेश्वर परियोजना अंतर्गत कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु मद प्रारंभ की जानी है। इस मद में रुपये 107.57 लाख की आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना के कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु मद प्रारंभ की जानी है। इस मद में रुपये 5.11 करोड़ की आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना में कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु मद प्रारंभ की जानी है। राशि रुपये 34.87 लाख की आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 6

चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय मद प्रारंभ की जानी है। इस हेतु कुल राशि रुपये 3.00 लाख के व्यय की आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

सरदार सरोवर परियोजना के कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्ते मद प्रारंभ की जानी है। इस मद में हेतु रुपये 30.75 लाख की आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था पुर्नविनियोजन से की जायेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55
मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 1 - 2

प्रदेश में बच्चों का कुपोषण दूर करने हेतु अटल बाल मिशन योजना नवीन मद के रुप में शामिल की गई है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु प्रतीक प्रावधान के रुप में रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56
मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

माटीकला बोर्ड की प्रचार-प्रसार योजना हेतु रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

माटीकला से संबंधित कारीगरों के वित्त पोषण के लिये श्रीयादें माटीकला योजना के लिये रुपये 183.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,83,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

माटीकला उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण योजना हेतु रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

आयुक्त हाथकरघा के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य के अन्तर्गत रुपये 1.00 लाख की आवश्यकता है जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 57
मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

विश्व बैंक से विदेशी सहायता प्राप्त डेम रिहेविलिटेशन एण्ड इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट (ड्रिप योजना) के लिये राशि रुपये 5.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 58

मुख्य शीर्ष 2245

मद क्रमांक 1

प्रदेश में आपदा राहत के अन्तर्गत 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुक्रम में ओला पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

आपदा राहत के अन्तर्गत तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुक्रम में नगद दान हेतु रुपये 56,87,00,000 का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 56,87,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत लेखान्तरण प्रक्रिया अनुरूप लेखा शीर्ष अन्तर्गत एस.डी.आर.एफ. से पूरी की गई राशि रुपये 392.75 करोड़ घटाई जाना है। राशि की व्यवस्था बचत से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

राहत कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन भत्ते मद में रुपये 6.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु नवीन मद के रुप में रुपये 8,62,500 का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,62,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 61

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 1

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुधन विकास योजना हेतु स्वीकृत बजट से रुपये 930.07 लाख भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रुप में प्राप्त होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,30,07,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु पशुधन विकास योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना में स्वीकृत बजट से रुपये 232.48 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रुप में प्राप्त होगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,32,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 3

बुन्देलखण्ड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राशि रुपये 20,46,48,000 की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रुप में प्राप्त होनी है। अत: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत राशि रुपये 20,46,48,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,46,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 4

बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित मुख्य सिंचाई अन्तर्गत नगर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु बरियारपुर परियोजना के लिये राशि रुपये 5342.85 लाख के व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 53,42,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 5

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनाओं के वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 2765.71 लाख के व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,65,71,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत सुधार, सुदृढ़ीकरण, पुनर्स्थापना, पोखर तालाब के वृह्द निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1822.85 लाख के व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,22,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत उद्वहन सिंचाई योजनाओं के सुधार हेतु राशि रुपये 210.57 लाख के व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,10,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ के व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत नवीन लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 4845.70 करोड़ के व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 48,45,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4705

मद क्रमांक 10

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना हेतु राशि रुपये 3394.28 लाख के व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,94,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

सर्व शिक्षा अभियान योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित प्रायमरी शालाओं एवं मिडिल शालाओ हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1547.30 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,47,30,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 2

अनुसूचित जाति बाहुल्य 35 विकास खण्डो में मोबाईल हैल्थ अस्पतालो का संचालन अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत किया जाना है। इस हेतु

रुपये 20.00 लाख प्रति विकास खण्ड के मान से वित्तीय वर्ष में रुपये 7.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 3

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां योजनांतर्गत पूर्व वर्ष में विमुक्त की गई राशि हेतु रुपये 1504.12 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,04,12,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

अनुसूचित जाति के कृषकों के सफल कुओं पर विद्युत/डीजल पंप हेतु रुपये 20,000 तक अनुदान सहायता दी जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 5.00 करोड़ का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ अंतर्गत अत्याचार से घटित क्षेत्रों का भ्रमण राहत राशि की समीक्षा सम्पूर्ण प्रदेश में सतत रुप से किये जाने हेतु 4 वाहन क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 16.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 6

कृषकों को सिंचाई उपकरणो के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान योजना अंतर्गत हस्तचलित, बैलचलित कृषि यंत्रो के क्रंय पर 50 प्रतिशत टाप अप अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 62.40 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 62,40,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 274.86 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,74,86,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 4112.75 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 41,12,75,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 9

मछली पालन विभाग के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना में प्रावधानित राशि में रुपये 72.50 लाख की अतिरक्ति आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 72,50,000/ के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 10

प्रदेश के अनुसूचित जाति के कृषकों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु म. प्र. राज्य सहकारी बैंक को उपलब्ध कराई जाने वाली अनुदान राशि हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 1500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 11

माटीकला से संबंधित कारीगरो को संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु श्रीयादे माटीकला योजना प्रस्तावित है। योजना अंतर्गत उद्यमियो एवं शिल्पियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु वित्त पोषण उपलब्ध कराया जावेगा। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 82.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 82,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 12

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 18 जिला चिकित्सालयों (रायसेन, विदिशा, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, इंदौर, सतना, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, उज्जैन, देवास, शाजापुर) में पी.आई.सी.यू, केज्यूलटी विंग, मेटरनिटी विंग, माइक्रोबायलाजी लैब तथा ब्लाक स्तर पर एन. आर. सी. का निर्माण कराया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 576.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,76,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दातारदाकला, प्रेमसर जिला श्योपुर, अहमदपुर, उदयपुर जिला विदिशा, अंवतीपुर, बडौदिया जिला शाजापुर, कायथा, रुपाखेड़ी, चिंतामन, जावासिया, पंथ पिपलई जिला उज्जैन, जेरठ, सदगुवा, इमलियाघाट जिला दमोह, रिठोरा, मांगरौल जिला मुरैना, सिरसोद जिला शिवपुरी, कछोरा, लुहरगुवां जिला टीकमगढ़, राजपुर जिला अशोकनगर, बमनोरा जिला छतरपुर, गोंदल जिला दतिया पर नाबार्ड योजना के आर.आई.डी.एफ. 15 वे चरण के अंतर्गत निर्माण कार्य कराया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 320.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,20,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 14

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्न स्थान पर मार्ग का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (राशि लाख में)
1.	सागर	सागर भोपाल बायपास मार्ग को सीधे भोपाल एन.एच. 86 मार्ग पर मिलाया जाना	2.00	192.30

उपरोक्त कार्यो पर वित्तीय वर्ष में रुपये 5.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 65
मुख्य शीर्ष 5053

मद क्रमांक 1

शासन द्वारा दो इंजन के हेलीकाप्टर क्रय के लिये राशि रुपये 60.00 करोड़ की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में हेलीकाप्टर के क्रय के अग्रिम भुगतान हेतु राशि रुपये 36.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 36,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 66
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में जिला स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिये पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी मेघावी पुरस्कार योजना प्रारंभ करने पर राशि रुपये 15.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र हेतु फर्नीचर क्रय के लिये राशि रुपये 1.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 8

म.प्र. पिछड़ा वर्ग आयोग के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा के लिये वेतन महंगाई, अन्य भत्ते, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा सुविधा, ग्रेड-पे के मदो को खोलने हेतु रुपये 6.65 लाख का व्यय अनुमानित है। उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट की बचत से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

व्यावसायिक परीक्षा मंडल म.प्र. द्वारा आयोजित तकनीकी प्रवेश परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों में से सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त अभ्याथियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग व्यवसायिक प्रतिभा परीक्षा पुरस्कार योजना हेतु रुपये 17.40 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67
मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर के भवन में अनुरक्षण कार्यो हेतु रुपये 135.58 लाख अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,35,58,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 2

पुलिस प्रशासन के अन्तर्गत आवासीय भवनों के अनुरक्षण कार्यो हेतु रुपये 134.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,34,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

भोपाल के शासकीय आवास गृहों में विशेष मरम्मत की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में रुपये 10.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 69
मुख्य शीर्ष 3425

मद क्रमांक 1

सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत विन्ध्याचल भवन, सतपुड़ा भवन में लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 11.60 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 72
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

आर्थिक पुनर्वास के अन्तर्गत गैस पीड़ितों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रुपये 100.00 करोड़ तथा गैस पीड़ितों द्वारा तैयार किये गये उत्पाद को बाजार में प्रदर्शित किये जाने हेतु रुपये 2.00 करोड़, गैस पीड़ितों को कुशल प्रशिक्षण हेतु औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्थापित करने के लिये रुपये 2.00 करोड़, इस प्रकार कुल रुपये 104.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इसमें केन्द्रांश रुपये 78.00 करोड़ तथा राज्यांश रुपये 26.00 करोड़ है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,04,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 2 - 4

चिकित्सा पुनर्वास योजना अंतर्गत फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण, मशीन उपकरण, अन्य आकस्मिक व्यय के लिये राशि रुपये 31.65 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इसमें केन्द्रांश की राशि रुपये 23.74 करोड़ तथा राज्यांश की राशि रुपये 7.91 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 5

सामाजिक पुनर्वास योजना अंतर्गत विधवा पेंशन हेतु राशि रुपये 30.00 करोड़ तथा योगा के लिये सामुदायिक विकास केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत रुपये 3.68 करोड़ कुल रुपये 33.68 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इसमें केन्द्रांश की राशि रुपये 25.26 करोड़ तथा राज्यांश रुपये 8.42 करोड़ है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,68,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 6

चिकित्सा पुनर्वास योजना अन्तर्गत कमला नेहरू अस्पताल में उप वृहद निर्माण कार्य हेतु रुपये 1.90 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इसमें केन्द्रांश की राशि रुपये 1.42 करोड़ तथा राज्यांश की राशि रुपये 48.00 लाख शामिल है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 7-8

सामाजिक पुनर्वास के अंतर्गत गैस प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 51.52 करोड़ तथा जल प्रदाय हेतु रुपये 50.00 करोड़ का व्यय संभावित है। इसमें केन्द्रांश की राशि रुपये 76.14 करोड़ तथा राज्यांश की राशि रुपये 25.38 करोड़ शामिल है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,01,52,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 74
मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 1

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पंचायत विभाग हेतु विशेष क्षेत्र अनुदान हेतु आयोजनेतर मद में राशि रुपये 22.568 करोड़ व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,56,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पंचायत विभाग हेतु सामान्य क्षेत्र आधारभूत अनुदान हेतु आयोजनेतर मद में राशि रुपये 383.10 करोड़ व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,83,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1-2,5

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अन्तर्गत 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को बेसिक ग्रान्ट उपलब्ध कराने के लिये राशि रुपये 139.10 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,39,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3,6

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधीन यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को हस्तांतरित किये जाने से इस योजना के लिये मांग संख्या-21 मुख्य शीर्ष 2217 में वर्ष 2010-11 के लिये प्रावधानित राशि रुपये 1,38,17,49,000 समर्पित किया जाकर नवीन नोडल एजेंसी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को नवीन योजना सीमा रुपये 44,54,30,000 के अनुरूप प्रावधान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अन्तर्गत किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 44,54,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को स्पेशल एरिया बेसिक ग्रान्ट उपलब्ध कराने हेतु राशि रुपये 394.20 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,94,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

सर्वेक्षित महिलाओं के कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण हेतु शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना के अन्तर्गत रुपये 20.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई राजीव आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 5 शहरों के सर्वे हेतु रुपये 576.50 लाख का व्यय होना संभावित है। जिसकी 50 प्रतिशत राशि रुपये 288.25 लाख राज्यांश की है तथा शेष भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,76,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 77
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

वित्तीय वर्ष 2010-11 में हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पदस्थ अमले के वेतन भत्तों अन्तर्गत गृहभाड़ा मद में राशि रुपये 6,25,00,000 की अतिरिक्त

आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 79
मुख्य शीर्ष 2810

मद क्रमांक 1

फोटोसवोल्टेइक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले सौर ए.सी. हाईब्रिड संयंत्र अपरम्परागत ऊर्जा विभाग के अधीन ऊर्जा विकास निगम द्वारा स्थापित करने हेतु राज्यांश की राशि रुपये 415.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।